BCCI BULLETIN

Vol. 51 | DECEMBER : 2020 | No. 7

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने बिहार विधान सभा अध्यक्ष का किया स्वागत

माननीय बिहार विधान सभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा को बूके देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

दिनांक 15 दिसम्बर 2020 को अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल के नेतृत्व में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल नवनिर्वाचित माननीय बिहार विधान सभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा से मिला एवं पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया।

प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल के अतिरिक्त उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप चौरसिया एवं श्री राजेश कुमार मखरिया शामिल थे।

माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी का राज्य सभा सदस्य के रूप में निर्वाचन पर चैम्बर प्रतिनिधिमंडल द्वारा स्वागत

माननीय राज्य सभा सदस्य श्री सुशील कुमार मोदी को बूके देकर स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर। साथ में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

दिनांक 8 दिसम्बर 2020 को माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी का राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्विरोध निर्वाचन पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा बुके भेंट कर स्वागत किया गया।

प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, कार्यकारिणी सदस्य श्री आलोक पोद्दार एवं श्री राजीव अग्रवाल उपस्थित थे।

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं

यह बुलेटीन जब तक आपको मिलेगी, आप नये वर्ष में प्रवेश कर चुके होंगे। नये साल में आपके हर प्रयास में आशातीत सफलता मिलें, आप अपने अधूरे सपनों को मूर्त्त रूप दे सकें, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है।

बीते वर्ष में कोरोना वायरस के चलते आम जन–जीवन विशेषकर व्यावसायियों का काफी त्रासदीपूर्ण रहा है। कई लोग काल की गाल में समा गये। जो आर्थिक क्षति हुई है, उसकी पूर्त्ति में कई साल लग जायेंगे।

हमें खुशी है कि कोरोना वायरस से सुरक्षा हेतु स्वदेशी दो–दो वैक्सीन को किसी भी क्षण मंजूरी मिल सकती है। आशा है कि कुछ हफ्ते–महीनों में इसे सभी लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया जायेगा। फिर भी, कोरोना से सावधान रहना अभी भी जरूरी है। ''दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी'' का नियम पालन करते रहना है।

चैम्बर के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 8 दिसम्बर, 2020 को माननीय पूर्व उप–मुख्यमंत्री, बिहार श्री सुशील कुमार मोदी जी का राज्य सभा सदस्य के रूप में निर्विरोध निर्वाचन पर बधाई दिया।

दिनांक 9 दिसम्बर, 2020 को चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग विभाग में नव पदस्थापित अपर मुख्य सचिव श्री बृजेश मेहरोत्रा का स्वागत किया।

दिनांक 14 दिसम्बर, 2020 को चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने नव पदस्थापित प्रधान मुख्य आयुक्त (बिहार–झारखण्ड) श्री के0 के0 सिंह से मिलकर उनका स्वागत किया तथा चैम्बर का कॉफी टेबुल भी भेंट किया। मुलाकात के दौरान प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने प्रतिनिधिमंडल से आग्रह किया कि केन्द्र सरकार की ओर से कर दाताओं के लिए कर–विवाद समाधान के लिए लाई गई ''विवाद से विश्वास योजना'' का लाभ लेने के लिए सभी उद्यमियों को प्रेरित करें, इसकी अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2020 है।

चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 को नव–निर्वाचित माननीय बिहार विधान सभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी से मिलकर उनका अभिनन्दन किया।

दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 को माननीय उप मुख्यमंत्री सह वित मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी का चैम्बर के एक प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर स्वागत किया। इस मुलाकात के दौरान मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी से विभिन्न विषयों सहित राज्य के औद्योगिक एवं आर्थिक प्रगति पर विचार–विमर्श किया तथा चैम्बर की ओर से हर सम्भव सहयोग का आश्वासन भी दिया।

चैम्बर की ओर से राज्य में औद्योगीकरण की गति में तेजी लाने के लिए बिजली की दरें पड़ोसी राज्यों यथा पश्चिम बंगाल एवं झारखण्ड के समतुल्य करने या कम करने का आग्रह माननीय उर्जा मंत्री, उर्जा सचिव, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी एवं नार्थ / साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कम्पनी से किया है।

प्रदूषण से प्रभावित पटना, गया और मुजफ्फरपुर के मास्टर प्लान सीमांकन क्षेत्र में 22 तरह के नये उद्योगों पर प्रतिबन्ध लगाने एवं नवीकरण में कठोर शर्त्तों का पालन करने के बिहार प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से राज्य के उद्यमियों में नाराजगी है। चैम्बर की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा कहा गया है कि सरकार को कड़े प्रतिबन्ध से पूर्व उद्यमियों से बात करनी चाहिए थी। तीन शहरों में 22 तरह के नये उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबन्ध लगाये जाने से संबंधित अधिसूचना न्यायोचित नहीं है। इससे राज्य में बेरोजगारी, एनपीए जैसी समस्या आयेगी। इन तीनों जिलों में आने वाली कई औद्योगिक इकाईयॉ पूर्व से चल रही है जिसमें करोड़ों रूपये निवेशित है तथा इनसे हजारों लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हैं।

चैम्बर की ओर से बिहार सरकार से राज्य के लिए भूजल प्राधिकरण (Ground Water Authority) बनाने का अनुरोध किया गया है क्योंकि भारत सरकार के सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने भूजल निकासी संबंधित जो माप दण्ड राज्य में लागू किया है उससे राज्य के छोटे उद्यमियों को समस्या हो रही है।

चैम्बर द्वारा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, लघु जल संसाधन मंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव उद्योग, जल संसाधन के प्रधान सचिव एवं लघु जल संसाधन सचिव से अनुरोध किया गया है कि यथाशीघ्र राज्य के लिए भूजल प्राधिकरण बनाया जाय।

विधि–व्यवस्था हेतु राज्य सरकार की पूरी सचेष्टता के बावजूद विगत् दिनों व्यवसायियों के साथ घटित आपराधिक घटनाएं चिंता का विषय है। इससे व्यावसायी वर्ग सुरक्षा को लेकर संशकित है । सरकार से आग्रह है कि विधि–व्यवस्था तंत्र को और अधिक मजबूत बनाया जाये ताकि अपराधियों पर अंकुश लग सके।

कृषि बिल के विरोध में किसान आन्दोलन से सामानों की कीमतें भी बढ़ सकती है। देश के कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर जाम के चलते ट्रकों को दूसरे रास्ते से घूम कर पटना आना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट चार्ज भी बढ़ रहा है। कारोबारियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। केन्द्र सरकार और किसानो से बातचीत से समस्या का समाधान हो जाये, वही सबके लिए हितकर होगा।

नव वर्ष की शुभकामनाओं सहित

सादर,

आपका

पी0 के0 अग्रवाल

प्रतिबंध से पहले उद्यमियों से बातचीत करे सरकार

प्रदूषण से प्रभावित पटना, गया और मुजफ्फरपुर के मास्टर प्लान सीमांकन क्षेत्र में 22 तरह के नये उद्योगों पर प्रतिबंध लगाने व नवीकरण में कठोर शर्तों का पालन करने के प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के निर्णय से उद्यमी नाराज हैं। उद्यमियों के संगठन बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज कहा कि सरकार को कड़े प्रतिबंध लगाने से पहले उद्यमियों से बातचीत करनी चाहिए थी।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि तीन शहरों में 22 तरह के नये उद्योग की स्थापना पर प्रतिबंध लगाये जाने से संबंधित अधिसूचना न्यायसंगत नहीं है। इससे राज्य में बेरोजगारी, एनपीए जैसी समस्या आयेगी। इन तीनों जिले में 22 श्रेणी में आने वाली बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ पूर्व से चल रही यूनिट में करोड़ों रुपये की पूंजी लगी है। हजारों लोग यूनिट से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हैं।

(साभार : प्रभात खबर, 4.12.2020)

चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–वित्त मंत्री से मिला और राज्य के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर विमर्श किया

माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद को बूके देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल के नेतृत्व में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल दिनांक 17 दिसम्बर 2020 को श्री तारकिशोर प्रसाद, माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री, बिहार से मिला एवं पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने माननीय उपमुख्यमंत्री के साथ विभिन्न विषयों के साथ-साथ राज्य के औद्योगिक विकास एवं आर्थिक उत्थान पर विचार-विमर्श किया तथा चैम्बर की ओर से हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधमंडल में अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल के अतिरिक्त उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी कार्यकारिणी सदस्य श्री रामाशंकर प्रसाद, श्री प्रदीप चौरसिया, श्री आलोक पोद्दार, श्री राजेश कुमार मखरिया एवं श्री राजेश चौधरी शामिल थे।

चैम्बर ने उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव का किया स्वागत

अपर मुख्य सचिव श्री बृजेश मेहरोत्रा को बूके देकर स्वागत करते पूर्व अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी एवं प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल दिनांक 9 दिसम्बर 2020 को उद्योग विभाग में नव पदस्थापित अपर मुख्य सचिव श्री बृजेश मेहरोत्रा से मिलकर बुके से उनका स्वागत किया।

प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी, कार्यकारिणी सदस्य श्री रामाशंकर प्रसाद, श्री आलोक पोद्दार एवं श्री राकेश कुमार शमिल थे।

चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल नव पदस्थापित प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार–झारखण्ड) से मिला

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झारखंड) को बूके देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त को चैम्बर का कॉफी टेबुल बुक भेंट करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

दिनांक 14 दिसम्बर 2020 को अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल के नेतृत्व में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल नव पदस्थापित प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झारखण्ड) श्री के. के. सिंह से मिला एवं पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया एवं उन्हें चैम्बर का कॉफी टेबुल बुक भी भेंट किया।

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने प्रतिनिधिमंडल से आग्रह किया कि केन्द्र सरकार की ओर से करदाताओं के लिए कर-विवाद समाधान के लिए लायी गयी विवाद से विश्वास योजना का लाभ लेने के लिए सभी उद्यमियों को प्रेरित करें। इस योजना की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2020 है। इसके पूर्व कर-विवाद का योजना के तहत निपटारा किया जा सकता है।

प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल के अतिरिक्त उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, कार्यकारिणी सदस्य श्री सुनील सराफ एवं श्री आलोक पोद्दार उपस्थित थे।

भूजल प्राधिकरण बनाये सरकार : चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने सरकार से राज्य के लिए भूजल प्राधिकरण (ग्राउंड वाटर अथॉरिटी) बनाने का अनुरोध किया है। ऐसा इसलिए कि भारत सरकार के सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने भूजल निकासी के संबंध में जो मापदंड राज्य में लागू किया है उससे राज्य के छोटे उद्यमियों को परेशानी हो रही है।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के अग्रवाल ने बताया कि केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार अब तक 13 राज्यों एवं दो केन्द्र शासित प्रदेशों ने इस कानून के अंतर्गत भूजल आथिरिटी बना लिया है परंतु बिहार में 2006 में बिहार ग्राउंड वाटर (रेगूलेशन एंड कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट) एक्ट बनने के

....शेष पृष्ठ 5 पर

चैम्बर अध्यक्ष ने रोटरी क्लब ऑफ पाटलिपुत्रा द्वारा दिव्यांगों के लिए उपलब्ध कराये गए ट्राईसाईकिल एवं व्हीलचेयर प्रदान किया

दिव्यांगों को ट्राई सायकिल एवं व्हीलचेयर प्रदान करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में उपस्थित रोटरी क्लब के अधिकारीगण।

दिव्यांग को ट्राई सायकिल प्रदान करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं रोटरी क्लब ऑफ पाटलीपुत्रा के अधिकारीगण एवं सदस्यगण।

दिनांक 16 दिसम्बर 2020 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने रोटरी क्लब ऑफ पाटलिपुत्रा द्वारा दिव्यांगों के लिए उपलब्ध कराये गए ट्राईसाईकिल एवं व्हीलचेयर प्रदान किया। इस अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ पाटलिपुत्रा के अध्यक्ष श्री विनोद चौधरी, सचिव श्रीमती सुषमा रिटोलिया, श्री अनिल रिटोलिया, श्री अंजनी सिन्हा एवं श्री आनंद मोहन भी उपस्थित थे।

....पृष्ठ 4 का शेष

बावजूद अब तक भूजल अथॉरिटी नहीं बन पायी है।

श्री अग्रवाल ने बताया कि राज्य की अपनी भूजल अथॉरिटी नहीं होने के कारण यहाँ के उद्यमियों को सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के नियमों का पालन करना पड़ता है। सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के नियम अन्य प्रदेशों के भूजल की कमी को ध्यान में रख कर बनाये जाते हैं जिससे बिहार के उद्यमियों को परेशानी हो रही है।

उन्होंने बताया कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के नियमानुसार सुक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 10 केएलडी तक ही जल का उपयोग करने की छूट दी गई है।

चैम्बर ने राज्य के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, लघु जल संसाधन मंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य उद्योग सचिव, जल संसाधन के प्रधान सचिव और लघु जल संसाधन सचिव से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द राज्य के लिए भूजल अथॉरिटी बनायी जाए। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 29.12.2020)**

मौद्रिक नीति का चैम्बर ने किया स्वागत

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुक्रवार 4.12.2020 को जारी किये गये मौद्रिक नीति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के अग्रवाल ने कहा कि मौद्रिक नीति में आरबीआइ ने सार्वजनिक, सहाकारी बैंकों को वित्तीय वर्ष 2019-20 का लाभ अपने पास रखने तथा लाभांश का पेमेंट नहीं करने का प्रावधान किया है, जिससे आने वाले सालों में निश्चित रूप से बैंकों के पास बड़ी राशि उपलब्ध होगी।

(साभार : प्रभात खबर, 5.12.2020)

बिजली दर कम करे सरकार : अग्रवाल

औद्योगिक प्रतिस्पर्द्धा के लिए पश्चिम बंगाल व झारखण्ड के समतुल्य हो बिजली दर : चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने राज्य के औद्योगिकरण की गति में तेजी के लाने के लिए बिजली की दरें पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल एवं झारखंड के समतुल्य करने का अनुरोध राज्य सरकार से किया है। चैम्बर ने राज्य के उर्जा मंत्री, उर्जा सचिव, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी एवं नर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी से अनुरोध किया है कि राज्य में औद्योगिकरण में तेजी लाने के लिए बिजली की दरों को पड़ोसी राज्यों पश्चिम बंगाल एवं झारखण्ड के समतुल्य रखा जाए या कम किया जाए।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पिछले कई वर्षो से यह प्रयास हो रहा है कि राज्य में औद्योगिकरण का विकास हो, परन्तु सफलता नहीं मिल रही है। क्योंकि पड़ोसी राज्यों की तुलना में बिहार में बिजली की कीमतों में भारी अंतर है। डीवीसी क्षेत्र में बिजली की दर 3.50 रुपये प्रति किलोवाट है और डीवीसी की दर से मेल खाने के लिए पश्चिम बंगाल बिजली बोर्ड एवं झारखंड बिजली बोर्ड डीवीसी की तुलना में औद्योगिक बिजली बेच रहे हैं, जबकि बिहार में एचटी उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर लगभग 8.50 रुपये प्रति युनिट है। फलस्वरूप बिहार के उद्यमी अपनी इकाईयों को पश्चिम बंगाल एवं झारखण्ड में स्थापित कर रहे हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य में बिजली की दरें अधिक होने के कारण यहाँ के विनिर्माण क्षेत्र में लगे उद्यमियों के वस्तुओं का उत्पादन लागत अधिक होता है, जिस कारण यहाँ के उद्यमी पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल एवं झारखण्ड के साथ प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि एचटी उपभोक्ताओं के लिए उच्च दर का मुख्य कारण क्रॉस सब्सिडी है। कुल बिजली का 13 प्रतिशत एचटी उपभोक्ताओं को बेचा जाता है और 87 प्रतिशत खुदरा एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। चूँकि एचटी आपूर्ति में खपत कम है। इसलिए क्रॉस सब्सिडी बहुत अधिक हो जाती है। यदि एक बार बिजली की दर प्रतिस्पर्धी हो जाएगी तो औद्योगिक विकास होगा, एचटी आपूर्ति बढ़ेगी और क्रॉस सब्सिडी कम होगी।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण लगभग सभी कॉमर्शियल एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानें ठीक से नहीं चली, परन्तु उन्हें नियमित रूप से खपत के अनुसार विद्युत उर्जा का उपयोग किए बिना फिक्स चार्ज देना पड़ा है। इसलिये टैरिफ में ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए कि यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है, जैसे प्राकृतिक आपदाओं, महामारी वैसी परिस्थिति में यदि कॉमर्शियल एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानें बंद रहते हैं, तो वैसी परिस्थिति में उन्हें नियत शुल्कों के भुगतान से छूट दी जाये। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 8.12.2020)**

चैम्बर ने रिटर्न फाइल की तिथि बढ़ाने की मांग की

अगर आप आयकरदाता हैं और अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो जल्द कर लें, नहीं तो दस हजार रुपये का फाइन भरना पड़ सकता है। 31 दिसम्बर को अंतिम तारीख है। इस बीच बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने आइटीआर फाइल करने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ाने की मांग की है। कोरोना महामारी के कारण केन्द्र सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए कई बार रिटर्न फाइल करने की अवधि बढ़ा दी थी, लेकिन अब हर हाल में आयकरदाताओं को आइटीआर फाइल करना होगा। समय पर आइटीआर फाइल करने पर आप गलती होने पर उसे सुधार सकते हैं, आइटीआर फाइल करना काफी सरल है। करदाता महज 20 मिनट में इस काम को पूरा कर सकता है।

तारीख बढ़ाने को लिखा पत्र : बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने बताया कि आयकर आयुक्त को पत्र लिखकर रिटर्न फाइल की तारीख 31 मार्च तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। मगर विभाग की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। **(साभार : प्रभात खबर, 30.12.2020)**

कारोबार को 150 करोड़ का नुकसान

किसान आंदोलन इफेक्ट :

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से माल का आना-जाना हुआ बंद

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन का असर पटना के बाजार पर भी पड़ रहा है। आंदोलन के कारण इन राज्यों से पटना सहित बिहार के अन्य जिलों में आने वाले आने वाले ट्रक फंसे हुए हैं। ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अनुसार पटना में प्रतिदिन लगभग 500 ट्रक दूसरे राज्यों से आते हैं। वहीं, पूरे बिहार में लगभग 5 हजार ट्रक दूसरे राज्यों से आते हैं, जिनमें से लगभग 60 प्रतिशत ट्रक जहाँ-तहाँ फंसे हुए हैं या नहीं आ रहे हैं। किसान आंदोलन की वजह से पिछले 10 दिनों में अब तक पटना में लगभग 150 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। बाजार से जुड़े लोगों का कहना है कि शादी और ठंड का सीजन होने से भारी मात्रा में माल दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, गुजरात से आना था। लेकिन किसान आंदोलन से कहीं भी माल लोड नहीं हो रहा है। जो माल लोड हो चुका है, वह रास्ते में फंसा हुआ है। कोरोना के बाद अब किसान आंदोलन की मार हमलोंगों पर पड़ रही है।

इन सामानों का कारोबार प्रभावित : • फल • ड्राई फ्रूट्स • दाल • मसाला • वूलेन गारमेंट्स • खिलौना • फैंसी आइटम • हौजरी गारमेंट्स • कॉस्मेटिक आइटम • रेडिमेड गारमेंट्स

"किसान आंदोलन से सामानों की कीमत बढ़ सकती है। देश के कई एनएच पर जाम से ट्रक घूमकर पटना आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ रहा है। कारोबारियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है।"

– पी. के. अग्रवाल, प्रेसिडेंट, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

(विस्तृत : आइनेक्स्ट, 11.12.2020)

जीएसटी के नये नियम से एमएसएमइ, छोटे कारोबारी प्रभावित नहीं

जीएसटी देनदारी का कम से कम एक प्रतिशत कैश पेमेंट करने के नये नियम से छोटे कारोबारी और डीलर प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि यह नया नियम छह करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक के वार्षिक कारोबार पर ही लागू होगा। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि यह नियम कुल 1.2 करोड़ जीएसटी करदाताओं में से सिर्फ 45,000 करदाताओं पर ही लागू होते हैं और इमानदार डीलरों और व्यवसायों पर इसका कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नया नियम नकली चालान के इस्तेमाल की जाँच के लिए लाया गया है ताकि गलत तरीके से इनपुट लागत पर कर रिफंड न लिया जा सके।

(साभार : प्रभात खबर, 28.12.2020)

क्यू आर कोड अनुपालन में कोताही पर सशर्त छूट

सरकार ने कंपनियों से ग्राहकों (बी टू सी) के बीच लेन-देन से जुड़े बिलों के मामले में क्यूआर कोड प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर जुर्माना लगाये जाने से छूट प्रदान की है। यह छूट 31 मार्च, 2021 तक के लिए सृजित बिलों को लेकर दी गई है। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने 29 नवम्बर 2020 को जारी अधिसूचना में हालांकि, यह भी कहा है कि कंपनियों के लिए जुर्माने से छूट लेने के लिए एक अप्रैल, 2021 से क्यूआर कोड प्रावधानों को अनुपालन करना अनिवार्य होगा। बी टू सी बिलों पर क्यूआर कोड प्रकाशित करने की व्यवस्था एक दिसम्बर से लागू की गई है। क्विक रिस्पांस कोड (क्यू आर कोड) से उपयोगकर्ताओं का डिजिटल हस्ताक्षर ई-बिलों में ब्योरे को सत्यापित करने में मदद मिलती है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 1.12.2020)**

प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE
भारतीय रिज़र्व बैंक (23.12.2020)

रिज़र्व बैंक अनधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म/मोबाइल ऐप्स के बारे में आगाह करता है

व्यक्तियों/ छोटे व्यवसायों के बारे में ऐसी खबरें आई हैं कि वे अनधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म / मोबाइल ऐप्स की बढ़ती संख्या के कारण त्वरित और परेशानी रहित तरीके से ऋण प्राप्त करने के वादों का शिकार हो रहे हैं। इन रिपोर्टों में ब्याज की अत्यधिक दरों और उधारकर्ताओं से मांगे जाने वाले अतिरिक्त छिपे हुए शुल्क; अस्वीकार्य और कठोर वसूली के तरीकों को अपनाना; और उधारकर्ताओं के मोबाइल फोन पर डेटा तक पहुँचने के लिए करार का दुरुपयोग का भी उल्लेख है।

रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और अन्य संस्थाओं जो सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किये गए हों, द्वारा वैध सार्वजनिक ऋण देने की गतिविधियाँ जैसे कि संबंधित राज्यों के धन उधार कार्य कर सकते हैं। आम जनता को यह आगाह किया जाता है कि वे इस तरह की बेईमान गतिविधियों का शिकार न हों और ऑनलाइन / मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण प्रदान करने वाली कंपनी / फर्म के पूर्व मामलों को सत्यापित करें। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को अज्ञात व्यक्तियों, असत्यापित / अनधिकृत ऐप्स के साथ केवाईसी दस्तावेजों की प्रतियों को कभी भी साझा नहीं करना चाहिए और ऐसे ऐप्स से संबंधित ऐप्स / बैंक खाते की जानकारी को संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों या सचेत पोर्टल (https://sachet.rbi.org.in) का उपयोग कर ऑन लाइन शिकायत दर्ज करना चाहिए।

रिजर्व बैंक ने बैंकों और एनबीएफसी की ओर से उपयोग किए जाने वाले डिजिटल लेंडिंग प्लेटफ़ॉर्म को बैंक (कों) या एनबीएफसी (यों) के नाम का खुलासा ग्राहकों के सामने करना अनिवार्य किया है। रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी के नाम और पते यहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं और रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए पोर्टल https:// cms.rbi.org.in के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/819

वार्षिक आधार पर 1.4 फीसदी बढ़ा कलेक्शन

जीएसटी संग्रह दूसरे माह भी एक लाख करोड़ पार

चालू वित्त वर्ष में यह लगातार दूसरा महीना है जब जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। वित्त मंत्रालय ने 1.12.2020 को बताया कि नवंबर में जीएसटी संग्रह 1.04 लाख करोड़ रुपये रहा है। हालांकि, अक्टूबर की तुलना में जीएसटी संग्रह में मामूली रूप से कमी आयी है। अक्टूबर में यह 1.05 लाख करोड़ रुपये रहा था। नवम्बर में जीएसटी संग्रह पिछले साल के समान महीने से 1.4 प्रतिशत अधिक है। नवम्बर, 2019 में जीएसटी संग्रह 1,03,491 करोड़ रुपये रहा था।

वित्त मंत्रालय ने कहा, जीएसटी राजस्व में सुधार के हालिया रुख के अनुरूप नवम्बर में संग्रह का आंकड़ा पिछले साल के समान महीने से 1.4 प्रतिशत अधिक रहा है।

चालू वित्त वर्ष में जीएसटी संग्रह

अप्रैल	32,172	अगस्त	86,449
मई	62,151	सितम्बर	95,480
जून	90,917	अक्टूबर	1,05,155
जुलाई	87,422		(आंकड़े करोड़ रुपये में)

बयान में कहा गया है कि समीक्षाधीन महीने में वस्तुओं के आयात से राजस्व पिछले साल के समान महीने की तुलना में 4.9 प्रतिशत अधिक रहा, वहीं घरेलू लेनदेन से राजस्व पिछले साल के समान महीने से 0.5 प्रतिशत अधिक रहा है।

नवम्बर, 2020 में कुल जीएसटी राजस्व 1,04,963 करोड़ रहा है। इसमें केन्द्रीय जीएसटी 19,189 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी 25,540 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी 51,992 करोड़ रुपये है (इसमें से 22,078 करोड़ रुपये वस्तुओं के आयात पर जुटाये गये हैं)। इसमें उपकर का योगदान 8,242 करोड़ रुपय का रहा है। 2019-20 में 12 में से आठ महीनों में जीएसटी राजस्व एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा था। (साभार : प्रभात खबर, 2.12.2020)

इंडियन बैंक ने सिडबी के साथ किया समझौता

लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और इंडियन बैंक के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुआ है। सिडबी महाप्रबंधक चित्रा आलै और इंडियन बैंक के महाप्रबंधक (एमएसएमई) के सुधाकर राव ने समझौता पर हस्ताक्षर किया। मौके पर इंडियन बैंक के एमडी व सीईओ पद्मजा चुंडूरू, बैंक के कार्यपालक निदेशक एमके भट्टाचार्य, के रामचंद्रन और सिडबी के डीएमडी मनोज मित्तल की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। इसके बाद बैंक लोन प्राप्तकर्ता सिडबी के पोर्टल पर 'एसेट रीस्ट्रक्चरिंग मॉड्यूल-डू इट योरसेल्फ' मॉडल का उपयोग कर सकेंगे। (साभार : हिन्दुस्तान, 3.12.2020)

तीसरी तिमाही में जीडीपी रहेगी सकारात्मक

भारतीय रिजर्व बैंक की दिसम्बर की मौद्रिक समीक्षा बैठक में एक बार फिर मुख्य नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया और इसे चार प्रतिशत पर बरकरार रखा गया। इससे लोगों के आवास, वाहन समेत अन्य खुदरा कर्ज पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। यह फैसला खुदरा महंगाई के उच्च स्तर को देखते हुए लिया गया है। खुदरा महंगाई इस समय रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर से ऊपर बना हुई है। यह लगातार तीसरी बार है, जब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली छह सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति (एममीसी) ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को जस का तस छोड़ा है। रेपो रेट 4% रिर्क्स रेपो रेट 3.35% कैश रिजर्व रेशियो 3% और एमएसएफ रेट व बैंक रेट 4.25% के स्तर पर बरकरार हैं। हालांकि, केन्द्रीय बैंक ने मौद्रिक नीति के मामले में उदार रुख बरकरार रखा है।

बैंकों को मुनाफा अपने पास रखने, लाभांश नहीं देने का निर्देश : रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के कारण आये आर्थिक दिक्कतों को देखते हुए कॉमर्शियल बैंकों और सहकारी बैंकों से कहा कि वे मार्च 2020 में समाप्त हुए वित्त वर्ष का मुनाफा अपने पास रखें। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकों को 2019-20 के लिए लाभांश का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। केन्द्रीय बैंक ने महामारी के चलते कायम दबाव तथा बढ़ी अनिश्चितता का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे समय में अर्थव्यवस्था को सहारा देने और कोई हानि होने की स्थिति में उसे संभाल लेने के लिए बैंकों के द्वारा पूंजी को संरक्षित रखना जरूरी है। एनबीएफसी के द्वारा लाभांश के वितरण के संबंध में फिलहाल कोई दिशानिर्देश नहीं है।

रिजर्व बैंक जारी करेगा डिजिटल पेमेंट सुरक्षा नियंत्रण निर्देश : आरबीआइ के गवर्नर ने कहा कि केन्द्रीय बैंक विनियमित संस्थाओं के लिए डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण निर्देश पेश करेगा। दास ने कहा कि इस कदम से डिजिटल भुगतान चैनलों की सुरक्षा में सुधार होगा और यूजर्स के लिए सुविधा भी बेहतर होगी। उन्होंने कहा, इन दिशानिर्देशों में उत्कृष्ट कंपनी संचालन की आवश्यकताएँ तथा इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग, कार्ड से भुगतान आदि जैसे माध्यमों के आम सुरक्षा नियंत्रणों पर कुछ न्यूनतम मानकों के क्रियान्वयन व निगरानी की व्यवस्थाएँ होंगी।

मौद्रिक नीति समिति बैठक की मुख्य बातें : • चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में 7.5 प्रतिशत गिरावट का अनुमान • प्रमुख नीतिगत दर रेपो को चार प्रतिशत पर बरकरार रखा। रिवर्स रेपो 3.35 प्रतिशत और स्थायी सीमात सुविधा (एमएसएफ), बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर बनी रहेगी • आरबीआई ने मौट्रिक नीति में नरम रुख बरकरार रखा • रिजर्व बैंक वित्तीय प्रणाली में जमाकर्ताओं का हित सुरक्षित रखने के लिये प्रतिबद्ध (विस्तृत : प्रभात खबर, 5.12.20)

विवाद से विश्वास योजना के लाभार्थियों को और राहत

आयकर विभाग ने 'विवाद से विश्वास' योजना के लाभार्थियों को थोड़ी और राहत दी है। विभाग ने कहा है कि योजना के तहत टैक्स की घोषणा करने

वाले इसमें तब तक संशोधन कर सकते हैं जब तक संबंधित प्राधिकरण टैक्स बकाया और भुगतान योग्य राशि के बारे में प्रमाणपत्र जारी नहीं कर देते। इस योजना को लेकर बार-बार पूछे जाने वाले सवाल (एफएक्यू) के जवाब जारी करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह भी कहा कि योजना का लाभ उन मामलों में नहीं लिया जा सकता है जहाँ कार्यवाही आयकर निपटान आयोग के पार लंबित है या फिर आइटीएससी के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई है।

सवालों के जवाब में सीबीडीटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन मामलों में द्विपक्षीय समझौता प्रक्रिया (एमएपी) समाधान लंबित है या करदाता ने एमएपी के निर्णय को स्वीकार नहीं किया है, उनसे संबंधित अपील विवाद से विश्वास के तहत विचार-योग्य मानी जाएगी। ऐसे मामलों में ब्योरा देने वाले को एमएपी आवेदन और अपील दोनों वापस लेने होंगे। विभाग ने यह भी साफ किया है कि करदाता उन मामलों में घोषणा के लिए योग्य माने जाएंगे जहाँ अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के समक्ष करदाता की कुल आय का निर्धारण हो गया है, एएआर ने करदाता के पक्ष में फैसला सुनाया है, और विभाग ने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। **(साभार : दैनिक जागरण, 7.12.2020)**

छोटे कारोबारियों के लिए अब केवल चार सेल्स रिटर्न

• वर्तमान में मासिक आधार पर 12 रिटर्न दाखिल करने होते हैं
• 92% रजिस्टर्ड जीएसटी करदाताओं को मिलेगी राहत

जीएसटी प्रक्रिया को और सरल करते हुए बिक्री रिटर्न दाखिल करने के मामले में कुछ और कदम उठाने की तैयारी है। सालाना पाँच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को अगले वर्ष जनवरी से वर्ष के दौरान मात्र चार बिक्री रिटर्न दाखिल करने होंगे। सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में इन कारोबारियों को मासिक आधार पर 12 रिटर्न दाखिल करने होते हैं। कर की मासिक भुगतान योजना के साथ तिमाही रिटर्न दाखिल(क्यूआरएमपी) करने की योजना का असर करीब 94 लाख करदाताओं पर पड़ेगा। यह जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड करदाताओं का लगभग 92 प्रतिशत है। इस प्रकार अगले साल जनवरी से छोटे कारोबारियों को साल में चार जीएसटीआर-3बी और चार जीएसटीआर-1 रिटर्न दाखिल करने होंगे। इस योजना को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) उपलब्ध कराने में भी लागू किया जायेगा। यह केवल रिपोर्ट किये जाने वाले बिलों को लेकर होगी। सूत्र के अनुसार इस योजना के तहत इनवॉयस दाखिल करने की सुविधा (आइआइएफ) का विकल्प भी दिया जायेगा।

(साभार : प्रभात खबर, 8.12.2020)

उद्यम रजिस्ट्रेशन हो रहा बिना दाम, उद्योग आधार से नहीं चलेगा काम

अगर आप कोई नया उद्योग शुरू कर रहे हैं तो उद्यम रजिस्ट्रेशन ही कराएँ। उद्योग आधार बनवाने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि मार्च 2021 से यह व्यवस्था खत्म हो जाएगी। बिहार के वैसे उद्यमी जो उद्योग आधार बना चुके हैं, उन्हें भी उद्यम रजिस्ट्रेशन ही कराना है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की वेबसाइट पर उद्यम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है।

दिसम्बर 2019 तक बिहार में 8,73,241 उद्यमियों ने उद्योग आधार लिया था। इन सभी उद्यमियों को भी नई व्यवस्था के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन ही कराना है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की वेबसाइट (udyamregistration.gov.in) पर जाकर उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान के सहायक निदेशक सम्राट झा ने कहा कि पूर्व की अपेक्षा अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी सरल बना दिया गया है। यह सिर्फ एक पन्ने का है, जिसे स्व घोषित आधार पर भरना है। इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद इसे आप घर बैठे डाउनलोड कर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए कोई शुल्क भी नहीं देना है। उन्होंने बताया कि उद्योग आधार की व्यवस्था वर्ष 2015 में लागू की गई थी। यह व्यवस्था 31 मार्च 2021 को समाप्त हो जाएगी और उद्योग आधार वैध नहीं रह जाएगा। इसका स्थान उद्यम रजिस्ट्रेशन ले चुका है। एक जुलाई 2020 से उद्यम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बिहार के भी उद्यम उद्योग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इसे जीएसटी और पैन से भी जोड़ा गया है। इसलिए नये उद्यमी रजिस्ट्रेशन से पूर्व जीएसटी नंबर लेने के साथ ही पैन कार्ड भी बनवा लें। उन्होंने कहा कि नया उद्योग लगाने वाले सीधे उद्यम रजिस्ट्रेशन ही कराएँ। उद्योग आधार लेने का अब कोई मतलब नहीं रह गया है।

जागरुकता जरूरी : • एमएसएमई मंत्रालय की वेबसाइट पर बिना शुल्क करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन • बिहार में 8,73, 241 लाख से अधिक उद्यमियों को कराना है उद्यम निबंधन

टॉप - 5 में अभी नहीं पहुँचा बिहार : टॉप-5 राज्यों के 31 अक्टूबर तक के उद्यम रजिस्ट्रेशन के आंकड़े जारी हो चुके हैं। इसमें बिहार का नाम नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक, उद्यम रजिस्टेशन लेने में महाराष्ट्र सबसे आगे है। तमिलनाडु दूसरे, राजस्थान तीसरे स्थान पर है।

राज्य	पंजीकरण
महाराष्ट्र	2,24,724
तमिलनाडु	1,13,543
राजस्थान	88,464
उत्तर प्रदेश	84,885
गुजरात	84,433

(साभार : दैनिक जागरण, 2.12.20)

कई और सेक्टर को इंसेंटिव देने की तैयारी में सरकार

भारत को मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने के लिए उद्योग जगत को सरकार की तरफ से वित्तीय मदद का सिलसिला जारी रहेगा।

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के मुताबिक दो लाख करोड़ के पीएलआइ से 20 लाख करोड़ का मैन्यूफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार होगा। इसके तहत प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से तीन करोड़ लोगों को नौकरी मिलने का अनुमान है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, आत्मनिर्भर भारत अभियान में मैन्यूफैक्चरिंग के तहत 24 सेक्टर का चयन किया गया है जिन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। 10 सेक्टर के लिए पीएलआइ की घोषणा हो चुकी है, बाकी सेक्टर को इंसेंटिव देने के तरीके पर विचार किया जा रहा है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय औद्योगिक संगठनों के साथ मिलकर ऐसे सेक्टर की भी पहचान कर रहा है जिनमें भारत दुनिया के बाजार में आसानी से मुकाबला कर सकता है और जिनकी उत्पादन लागत अन्य देशों के मुकाबले कम हो। मंत्रालय के मुताबिक, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोत्साहन के लिए वस्तुओं की गुणवत्ता और उत्पादकता का भी ध्यान रखा जा रहा है।

(साभार : दैनिक जागरण, 1.12.2020)

कार्रवाई एनजीटी के आदेश पर लगायी गयी रोक

पटना, मुजफ्फरपुर और गया में नहीं लगेंगी औद्योगिक इकाइयाँ

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी की अधिसूचना

राज्य में संचालित सभी ओद्योगिक इकाइयों (उजला श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उद्योगों को छोड़कर) को उद्योग स्थापित व संचालित करने के पहले बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। प्रदूषणकारी 22औद्योगिक इकाइयां सीमेंट, स्टोन क्रशर्स, कोल प्रोसेसिंग, एसिड बैटरी, थर्मल पावर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरी, बोन मिल, रबड़, टायर व ट्यूब, सिरामिक्स आदि इकाइयाँ पटना के 'मास्टर प्लान सीमांकन क्षेत्र', मुजफ्फरपुर व गया के 'योजना क्षेत्र' में स्थापित नहीं होंगी। इस संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच, नयी दिल्ली द्वारा देश के 102 प्रदूषित शहरों में स्वच्छ हवा के लिए समय-सीमा से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के अनुपालन में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 31ए में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी की गयी है।

ये उद्योग नहीं चलेंगे : • ग्रेफाइट व कार्बन ब्लॉक • निकेल, जिंक, कॉपर, आर्सेनिक, कोबाल्ट से जुड़ी इकाइयाँ • मर्करी, कैथोड रे ट्यब से जुड़ी

इकाइयाँ • पेपर एण्ड पल्प इकाई • कोलतार व फ्यूल गैस इकाइयाँ • एक्सप्लोसिव, डेटोनेटर निर्माण इकाइयाँ • एस्बेस्टर आधारित उद्योग • लेड एसिड बैटरी रिसाइकलर • सीमेंट इकाई • थर्मल पावर प्लांट • स्लॉटर हाउस • ऑयल रिफाइनरी • बोन मिल • रबर, टायर-ट्यूब बॉयलर • फ्लाइ एश को छोड़ कर ब्रिकफिल्ड • सिरामिक और रिफैक्ट्रीज • ड्राइ कोल, मिनरल प्रोसेसिंग इकाइयाँ • स्टोन कर्सस • सीमेंट कर्सस • लाइम मेन्यूफैक्चरिंग इकाई

(साभार : प्रभात खबर, 3.12.2020)

छोटे कारखानों को भी स्थायी लाइसेंस

• कोरोना काल में बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद • राज्यपाल की स्वीकृति के बाद राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी

कोरोना काल में बिहार में सुस्त हुई औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को गति देने के उपाय राज्य सरकार ने शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में राज्य सरकार ने नए कारखाने लगाने के लिए इच्छुक छोटे उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। अब 20 से कम श्रमिक होने की स्थिति में भी छोटे उद्यमियों को कारखाने का मानचित्र स्वीकृत नहीं कराना होगा। साथ ही, 20 श्रमिकों तक सेवायोजन वाले कारखानों को अब स्थायी लाइसेंस मिलेगा। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। विधानसभा के पिछले मानसून सत्र में बिहार में कारखाना लगाने वालों को विशेष छूट देने संबंधी विधेयक पारित हुआ था। इसमें राज्य सरकार ने एक हजार दिनों तक श्रमिकों से अपने हिसाब से काम कराने की छूट सहित छोटे उद्यमियों को श्रम कानूनों में राहत देने की बात कही थी। यह मामला श्रम कानूनों में संशोधन के जुड़ा था। इसके लिए राज्यपाल के साथ ही, राष्ट्रपति की स्वीकृति भी जरूरी थी।

यूपी-एमपी की तर्ज पर बदलाव : कोरोना काल में 20 लाख से अधिक लोग देशव्यापी लॉकडाउन के चलते बिहार लौटे थे। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने कोरोना के कारण उपजी परिस्थितियों से उबरने और नए निवेश आमंत्रित करने को अपने यहाँ श्रम कानूनों में कई रियायत दी है। इसी तर्ज पर बिहार में भी यह छूट दी गई है, ताकि निवेशक नई फैक्ट्रियाँ लगा सकें।

राहत : • 8,274 निर्बंधित कारखाने हैं बिहार में कुल • 4000 कारखाने हैं 20 से कम श्रमिक वाले • 2.20 लाख कर्मचारियों की संख्या है निर्बंधित कारखानों में

ये है नया अधिनियम : सरकार के सचिव पीसी चौधरी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस अधिनियम को बिहार कारखाना संशोधन विधेयक-2020 कहा जाएगा। इसके तहत कारखाना अधिनियम- 1948 में संशोधन किया गया है। अब तक 10 या उससे ऊपर कामगारों वाली फैक्ट्रियों को नक्शा पास कराना होता था। मगर अब 20 श्रमिक होने पर भी कारखानों के भवन मानचित्र की स्वीकृति नहीं करानी होगी। वहीं, ऐसी इकाइयों को लाइसेंस भी अभी तक 10 साल का मिलता था। अवधि खत्म होने पर उसका नवीनीकरण कराना होता था, लेकिन अब ऐसी इकाइयों को स्थायी लाइसेंस दिया जाएगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 15.12.2020)

रोहतास में टमाटर प्रोसेसिंग प्लांट को मिली मंजूरी

दिनारा की महरोढ़ पंचायत में स्थापित होगा प्रोसेसिंग प्लांट, एक लाख नौ हजार 138 टन प्रत्येक साल टमाटर का है उत्पादन

रोहतास जिला में टमाटर प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने को मंजूरी मिल गई। दिनारा प्रखंड की महरोढ़ पंचायत में प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित होगा। विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले का पहला टमाटर प्रोसेसिंग प्लांट दिनारा में स्थापित होगा। प्लांट से किसानों में उम्मीदें जगी हैं। जिले के किसानों के लिए यह नई तकनीक वाली प्लांट होगी। प्लांट के स्थापित होने से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। पहले 100 किसानों का ग्रुप तैयार किया गया है। 100 एकड़ से अधिक भूमि में प्लांट स्थापित होगी।

जिला उद्यान विभाग द्वारा सात दिसम्बर को समूह के किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना पर करीब 80 लाख रुपए खर्च होंगे। सरकार ने प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के लिए किसानों को राहत दी है। किसानों को सरकार 90 प्रतिशत अनुदान देगी। किसानों को सिर्फ दस प्रतिशत राशि खर्च करनी पड़ेगी। इसी वित्तीय वर्ष में प्रोसेसिंग प्लांट पर काम पूरा किया जाएगा। इस प्लांट के स्थापित करने से टमाटर उत्पादन करने वाले किसानों को राहत मिलेगी। टमाटर की बर्बादी नहीं होगी। जिले को पिछले दो वित्तीय वर्ष से टमाटर की खेती के लिए चयन किया जा रहा है।

दूसरे प्रदेशों में टमाटर सॉस का होगा निर्यात : प्रोसेसिंग प्लांट में बनने वाला टमाटर सॉस को अपने प्रदेश के साथ दूसरे प्रदेशों में निर्यात किया जाएगा। बाहर की विभिन्न कंपनियों से टाइअप किया जाएगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 6.12.2020)

कृषि संबंधी कार्यों में बिजली की खपत

मध्य प्रदेश	40.68	गुजरात	14.55
कर्नाटक	33.76	तमिलनाडू	14.42
तेलंगाना	29.04	जम्मू-कश्मीर	4.27
पंजाब	28.19	प. बंगाल	3.59
हरियाणा	27.09	बिहार	2.60
आध्र प्रदेश	24.73	ओड़िशा	1.66
महाराष्ट्र	24.62	झारखण्ड	0.56
छत्तीसगढ़	21.31	भारत	20.06

आंकड़े फीसद में (कुल खपत में)

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 7.12.2020)

बाढ़ बिजलीघर से इसी मार्च तक मिलने लगेगी बिजली

स्टेज-1 की पहली यूनिट से 396 मेगावाट आपूर्ति

बाढ़ बिजलीघर के स्टेज -1 की पहली यूनिट से बिहार को इसी मार्च तक बिजली मिलने लगेगी। सितम्बर में बिजलीघर बनकर तैयार हुआ और इसका सफल ट्रायल पूरा किया गया। एनटीपीसी बिजलीघर का बीच-बीच में ट्रायल कर रहा है। 21 वर्षों के बाढ़ बिजलीघर के स्टेज-1 की 660 मेगावाट की पहली यूनिट बनकर तैयार हुई है। स्टेज-1 में बिहार को 52 फीसदी हिस्सेदारी दी गई है।

• 21 साल के बाद बिजलीघर तैयार, 1980, मेगावाट में बिहार की 52% हिस्सेदारी • 660 मेगावाट की स्टेज-2 की दो यूनिट पहले से चालू हैं

27 सितम्बर को हुआ था निर्माण पूरा : स्टेज-1 की पहली यूनिट को 27 सितम्बर को सुबह 7:32 बजे सफलतापूर्वक चालू किया गया। इसे ग्रिड से भी जोड़ा गया। 72 घंटे तक पूर्ण लोड पर चलाया गया। स्टेज-2 की दोनों यूनिट चालू हो चुकी हैं। इनसे बिहार को बिजली मिल रही है।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 7.12.2020)

बिजली शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव आयोग को देगी कंपनी

20% तक वृद्धि का प्रस्ताव देने पर मंथन, 1 अप्रैल से होगा लागू

राज्य की बिजली 1 अप्रैल, 2021 से महंगी होगी। बिजली कंपनी अलग -अलग श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग शुल्क बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर रही है। इसमें शहरी, ग्रामीण, व्यवसायिक एवं अन्य सभी तरह के उपभोक्ता शामिल हैं। इन उपभोक्ताओं के शुल्क में 10 से 20 फीसदी तक बढ़ोतरी करने पर मंथन हो रहा है। वरीय पदाधिकारी के मुताबिक अगले सप्ताह में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विद्युत विनियामक आयोग को साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा प्रस्ताव जमा किया जाएगा। विद्युत विनियामक आयोग में प्रस्ताव जमा होने के बाद जनसुनवाई का समय निर्धारित किया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सभी श्रेणी के उपभोक्तओं और उपभोक्ताओं के संगठनों से सुझाव लेने के बाद अपना फैसला सुनाएंगे। यह फैसला 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगा। इसके लिए विभिन्न प्रमंडलों में जनसुनवाई होगी। अंतिम जनसुनवाई आयोग के कोर्ट रूम में होती है।

बिहार ग्रिड कंपनी ने जमा किया प्रस्ताव, अन्य कर रहीं तैयारी : अब तक बिहार ग्रिड कंपनी ने प्रस्ताव जमा किया है। जबकि चार कंपनियों को

प्रस्ताव जमा करना शेष है। इसमें साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, बिहार स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर और बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी शामिल है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 9.12.2020)**

जेम ने बढ़ाया छोटे कारोबारियों का दायरा

देश में घरेलू कंपनियों के सामान की बिक्री बढ़ाने के लिहाज से सरकारी ई- मार्केटप्लेस यानि जेम पोर्टल पर खरीदारी का दायरा बढ़ा दिया है। हिन्दुस्तान को मिली जानकारी के मुताबिक जेम पोर्टल पर अब कस्टम बिडिंग की सीमा 50 लाख से घटाकर पाँच लाख रुपये तक कर दी गई है।

जेम के सीईओ तल्लीन कुमार ने हिन्दुस्तान को बताया है कि नई व्यवस्था के चलते सभी सरकारी कंपनियाँ अब पाँच लाख रुपये तक के सामान के ऑर्डर या फिर सेवाओं के लिए निविदाएँ जारी कर सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रकम दायरा घटने से न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा छोटी और मझोली कंपनियाँ इस पोर्टल के जरिए सामान बेच पाएंगी बल्कि सरकारी कंपनियों को भी एक ही जगह से खरीदारी करने में सहूलियत होगी।

किसी भी श्रेणी के लिए निविदा जारी कर सकेंगे : जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मुताबिक शुरू आती तौर पर 50 लाख रुपये ऊपर की सेवाओं के लिए निविदा प्रक्रिया को शुरू किया गया और बाद में खरीदारों की तरफ से इस प्रयोग को लेकर मिले अच्छे फीडबैक के बाद कम दाम की सेवाओं और सामानों को भी इसके लिए चुना गया। इस व्यवस्था के जरिए कोई खरीदार जेम पर उत्पादों व सेवाओं की उन श्रेणियों के लिए निविदा जारी कर सकता है जो उस समय मंच पर उपलब्ध नहीं हों। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 9.12.2020)**

गाड़ियों का मनपसंद नंबर लेने वालों की संख्या बढ़ी

गाड़ी खरीदने के बाद मनपसंद नंबर लेने की होड़ लोगों में बढ़ रही है। इस साल अप्रैल से लेकर अब तक एक हजार से अधिक लोगों ने मनपसंद नंबर लिया है। इसके लिए वाहन मालिकों को अधिक पैसा देना पड़ता है। सबसे अधिक पटना जिले में 487 लोगों ने ही फैंसी नंबर लिया है।

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि गाड़ी खरीदते समय या खरीदने से पहले मनपसंद नंबर ऑनलाइन ढूंढ़ा जा सकता है। ऑनलाइन बुकिंग की भी सुविधा है। फैंसी नंबर के शौकिनों को राहत देते हुए पिछले दिनों दर में संशोधन किया गया था। इसके बाद फैंसी नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। सचिव ने कहा कि कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद फैंसी नंबर और च्वाइस नंबर की बुकिंग कराने वालों की संख्या में तेजी आयी है। सितम्बर 2020 से नवम्बर माह तक हर महीने 200 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।

फैंसी नंबर 0001, 0007, 0009, 4141, 0123, 0021, 5151, 9999 है जबकि च्वाइस नंबर की श्रेणी में 8055, 9909, 9925 और 9990 नंबरों के लिए सबसे अधिक दावेदार आ रहे हैं। ये सभी नंम्बर लोगों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किये जा रहे हैं। परिवहन विभाग ने फैंसी नंबर और लकी नंबर की बढ़ती डिमांड को देखते हुए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है। फैंसी नंबर हेतु निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए पोर्टल के द्वारा नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया जा सकता है।

रजिस्ट्रेशन कराना होता है : कार, बाइक या अन्य गाड़ियों के लिए पैंसी नंबर और मनपसंद नंबर पाने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। फैंसी नंबर में एक ही नंबर के लिए एक से अधिक दावेदार होने की स्थिति में बोली लगती है और अधिकतम बोली लगाने वाले को वह नंबर दिया जाता है। फैंसी नंबर 0001, 0003, 0005, 0007, 0009 के लिए गैर परिवहन वाहन के लिए आधार शुल्क 1लाख व परिवहन वाहन के लिए 35 हजार है।

आधार शुल्क है तय : फैंसी नंबर 0002, 0004, 0006, 0008, 0010, 0011, 0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0088, 0099, 0111, 0222, 0333, 0444, 0555, 0666, 0777, 0888, 0999, 1000, 1001, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 0020, 0030, 0040, 0050, 0060, 0070, 0080, 0090 आदि नंबरों के लिए गैर परिवहन वाहन के लिए आधार शुल्क 60 हजार, जबकि परिवहन वाहन के लिए आधार शुल्क 20 हजार तय किया गया है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 5.12.2020)**

नए साल में 50 सीएनजी बसों का मिलेगा तोहफा

नए साल में राजधानी पटना की सड़कों पर 50 नई सीएनजी बसें दौड़ेंगी। इन बसों के लिए टेंडर का काम फरवरी-मार्च तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद नई बसों को अप्रैल तक सड़कों पर उतारा जाएगा। परिवहन निगम इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। फिलहाल राजधानी की सड़कों पर 20 सीएनजी बसें चल रही हैं, मगर यह पुरानी डीजल बसें थीं, जिन्हें सीएनजी में कन्वर्ट किया गया था। नए साल में आने वाली बसें नई होंगी और सीएनजी से ही चलेंगी।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 7.12.2020)

पटना में अगले साल तक होंगे 12 और नये सीएनजी स्टेशन

जिले में अगले साल के अंत तक 12 सीएनजी स्टेशन खुलेंगे। इनमें से दीघा और बहादुरपुर के दो नये स्टेशन जनवरी, 2021 माह में खुल जायेंगे, इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा बख्तियारपुर, दनियावां, खुसरूपुर, कुम्हरार, पटना सिटी, अनिसाबाद, फुलवारी शरीफ, एग्जीबिशन रोड, नासरीगंज (दीघा) और लोहिया नगर (कंकड़बाग) में पहले से चल रहे पेट्रोल पंप तथा विशेष सीएनजी स्टेशन बनाने के लिए जगह की सर्वे प्रक्रिया ही चल रही है।

फिलवक्त पटना में छह सीएनजी स्टेशन हैं। इसमें ऑटो केयर (बेली रोड), सिटी फ्यूल (टोल प्लाजा), सोनाली (ट्रांसपोर्ट नगर), नौबतपुर, रघुनाथ (बेली रोड), नवनीत (सगुना मोड़) हैं। इनमें से दो ऑफलाइन स्टेशन हैं।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 8.12.2020)

लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के शुल्क में 50 रुपये की कमी

लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के शूल्क में 50 रुपये की कमी कर दी गई है। पहले 790 रुपये लगता था, एक दिसम्बर से राज्यभर में 740 रुपये ही लगेंगे।

सिर्फ एक बार जाना है डीटीओ कार्यालय : लाइसेंस बनवाने के लिए सिर्फ लर्निंग ड्राइविंग परीक्षा के लिए जिला परिवहन कार्यालय जाना है। लर्निंग लाइसेंस मिलने के छह माह के अंदर स्थाई लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन देना है। 2300 रुपये शुल्क लगता है। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 4.12.2020)**

अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के लिए कोविड पासपोर्ट

कोरोना काल में जल्द दो तरह के पासपोर्ट के साथ सफर के लिए तैयार रहिए। आपको विदेश यात्रा के दौरान अपने देश के पासपोर्ट के साथ 'डिजिटल कोविड पासपोर्ट' दिखाना पड़ सकता है। इस डिजिटल पासपोर्ट में कोरोना के टीकाकरण की जानकारी दर्ज होगी।

यह होगा फायदा : जिन यात्रियों ने टीका लगवाया होगा, इसकी जानकारी उनके पासपोर्ट पर दर्ज होगी। इसका फायदा यह होगा कि ऐसे यात्रियों को किसी भी देश में यात्रा करने पर क्वारंटाइन नहीं होना होगा। इससे उनके समय और पैसे की बचत होगी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 1.12.2020)**

नई व्यवस्था : बैंकों के साथ ही टोल प्लाजा पर 200 से 800 रुपए तक में फास्टैग लगवाने की व्यवस्था, पटना में 14.30 लाख गाड़ियाँ

1 जनवरी से सभी टोल प्लाजा होंगे कैशलेस, बिना फास्टैग गुजरने पर 10 गुना तक जुर्माना

1 जनवरी से टोल प्लाजा से वही गाड़ियाँ गुजर पाएंगी, जिनपर फास्टैग लगा होगा। ऐसा नहीं करने पर निर्धारित शुल्क से 2 से 10 गुना तक जुर्माना वसूला जाएगा। फिलहाल प्रदेश में लगभग 20 लाख और पटना में 3 लाख गाड़ियाँ ऐसी हैं, जिन पर फास्टैग नहीं लगा है। इसे 200 से 800 रुपए तक में लगवाया जा सकता है। बिहार में लगभग 90 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन है, जिनमें 14.30 पटना में हैं। 30 लाख चारपहिया गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ रही हैं।

इनमें 5 लाख ट्रक, 50 हजार बस के साथ ही कार, जीप, ट्रेलर, ऑटो हैं।

ये चाहिए जरूरी दस्तावेज : • वाहन का रजिस्ट्रेशन कार्ड • डीएल • एड्रेस प्रूफ • आईडी प्रूफ- आधार कार्ड, पैन कार्ड • फोटो • फास्ट टैग की कीमत-100 रुपए • सिक्योरिटी डिपॉजिट-200 रुपए • रिचार्ज- 100 रुपए

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 5.12.2020)

बंटवारे का निबंधन सौ रुपये में कराने में छूट रहे पसीने

• कई पेंच होने के कारण गति नहीं पकड़ रही है योजना • पाँच साल में चार हजार से भी कम हुआ है निबंधन

राज्य में सौ रुपये के स्टाम्प शुल्क पर पारिवारिक बंटवारे का निबंधन कराना आसान नहीं है। नये कानून में इतने पेंच हैं कि लाभ लेने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। हालांकि जो भी पेंच है, वह राजस्व चोरी और बेनामी संपत्ति को जायज ठहराने के प्रयास को रोकने के लिए ही है। लेकिन आमलोग भी इससे परेशान हो रहे हैं। नतीजा यह है कि पाँच साल में अब तक लगभग मात्र चार हजार ही ऐसा निबंधन हो सका है। राज्य सरकार ने पाँच साल पहले यह व्यवस्था की थी कि सौ रुपयें के स्टाम्प शुल्क पर ही पैतृक संपत्ति का निबंधन हो जाएगा, लेकिन इसमें बड़ा पेंच यह है कि संयुक्त परिवार में बड़े भाई के नाम से अगर संपत्ति खरीदी गई है तो दूसरे भाइयों के संतान के हिस्से की संपत्ति सौ रुपये के स्टाम्प पर निर्बाधित नहीं हो सकती है। विभाग का कहना है कि चाचा की संपत्ति में भतीजा का हक नहीं होता है। वह संपत्ति का कानूनी हकदार नहीं होगा। ऐसे में इसका निबंधन इस प्रक्रिया से नहीं हो सकता है। इसी तरह कई और पेंच है। यानी अगर तीन पीढ़ियों से बंटावारा नहीं हुआ है और जमीन की खरीद बीच में भी की गई है तो इस तरह से बटवारा का शिड्यूल बनाना कठिन है। निबंधन कार्यालय दादा की संपत्ति पर ही पोते को अधिकार देगा। विभाग ने इस परेशानी से बचने का उपाय भी किया है। इसके लिए पंचनामा को भी कानूनी वैधता दी गई है। उसका निबंधन नहीं होगा, लेकिन सभी भाइयों के हिस्से की जमीन का म्यूटेशन उसके नाम से हो जाएगा। इसके लिए पूरे परिवार में सहमति बनाकर पंचों के सामने बंटावारा करना होगा। पंचों के हस्ताक्षर से बने शिड्यूल के अनुसार अंचल कार्यालय दाखिल खारिज कर देगा। हालांकि अंचल कार्यालयों में भी यह काम आसान नहीं है। म्यूटेशन की नई व्यवस्था का पेच अलग है। उसके लिए भी बाबू परिवार के सदस्यों को रोज दौड़ते हैं। ऐसे में अगर अंचलाधिकारी को किसी भी प्रकार संदेह होगा तो वह परिवार के सभी वारिसों को एक साथ बुलाकर अपने सामने हस्ताक्षर कर सकते हैं। **(साभार : हिन्दुस्तान, 8.12.2020)**

शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं अब 200 लोग

शादी समारोह में अब 200 लोग शामिल हो सकते हैं। केन्द्र की गाइडलाइन के तहत बिहार में भी शादी समारोह में इतने लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। राज्य सरकार ने पहले 100 और फिर इसे संशोधित कर 150 किया था पर इसकी मियाद खत्म हो चुकी है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 26 नवम्बर को नया गाइडलाइन जारी किया था। इसके तहत शादी समारोह में 200 लोग खानिल हो सकते हैं। हालांकि, राज्य सरकार ने अधिकतम 100 लोगों को ही शादी समारोह में शामिल होने की इजाजत दी थी। 29 नवम्बर को इसे संशोधित करते हुए 150 कर दिया गया। साथ ही बैंड-बाजे के साथ बारात निकालने की भी इजाजत दी गई थी। यह तीन दिसम्बर तक के लिए प्रभावी था। **(साभार : दैनिक जागरण, 7.12.2020)**

नई लीज नीति से होगा भूखंड व दुकानों का आवंटन

सरकार अब नगर निकायों में नई लीज नीति से भूखंड और दुकानों का आवंटन करेगी। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 4.12.2020 को नगर विकास एवं आवास की समीक्षा के दौरान विभाग के सचिव को यह निर्देश दिए।

उन्होंने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों की दुकान, मकान और भूखंड लीज पर देने में तमाम विसंगतियों की ओर विभाग के अफसरों का ध्यान आकृष्ट किया। उप मुख्यमंत्री ने नई लीज नीति बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। **(साभार : दैनिक जागरण, 5.12.2020)**

अब 7 से 8 घंटे में राज्य के किसी कोने में पहुँचेंगे पार्सल

अब आपके पार्सल, पत्र सहित अन्य सामग्री डाकघर के माध्यम से प्रदेश के किसी भी जिलों में 7-8 घंटे में पहुँच जाएगी। तय समय सीमा के अंदर डाक घर सुविधा देगी। बिहार डाक सर्किल प्रदेश के 38 जिलों में परिवहन की जाल बिछाने जा रही है। पटना डिवीजन से प्रदेश के सभी जिलों को जोड़ने के लिए डाक सर्किल 15 मेल वैन खरीदेगी। बक्सर, आरा, मोकामा, भागलपुर, गया, पूर्णिया, सासाराम, भभुआ सहित अन्य जिलें पार्सल, पत्र या अन्य सामग्री भेजने के लिए ट्रेन की इंतजार नहीं करना पड़ेगा डाक सर्किल के पास पर्याप्त मेल वैन रहेगी तो सीधे पटना जीपीओ, बांकीपुर, पटना सिटी प्रदेश के किसी भी जिला के लिए मेल वैन से पार्सल चली चाएगी। **(साभार : दैनिक भास्कर, 8.12.2020)**

देश में कृषि योग्य भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता (हेक्टेयर)

1961	0.339	1991	0.183	2011	0.126
1971	0.281	2001	0.149	2016	0.118
1981	0.228				

स्रोत- एफएओ

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 4.12.2020)

निर्यात संबंधी हर जानकारी दे रहा एमएसएमई डीआइ का सेल

अगर आप बिहार से किसी जिंस अथवा वस्तु का निर्यात कर रहे हैं, अथवा करने की सोच रहे हैं तो पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान के विशेष सेल से हर तरह की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही किसी तरह की समस्या आ रही है तो भी इस सेल से मदद ले सकते हैं। सेल की ओर से निर्यात पर जागरुकता के लिए प्रदेश में कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है।

दरअसल, राष्ट्रीय स्तर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) सेक्टर की निर्यात में 48 फीसद की भागीदारी है। केन्द्र सरकार इसे 60 फीसद पर ले जाना चाहती है। इससे जीडीपी में तो एमएसएमई की हिस्सेदारी बढ़ेगी ही, विदेशी मुद्रा भी अर्जित किया जा सकेगा। इससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। **(साभार : दैनिक जागरण, 4.12.2020)**

ट्रेड लाइसेंस के बिना परिसर का व्यावसायिक उपयोग नहीं कर सकेंगे लोग

ट्रेड लाइसेंस विनियमन 2020 का ड्राफ्ट तैयार

पटना नगर निगम क्षेत्र में किसी भी परिसर के व्यावसायिक उपयोग से पहले जमीन मालिक या संपत्ति के अधिकारी को अनुमति लेनी होगी। नगर निगम की ओर से इन परिसरों को पहले लाइसेंस जारी किया जाएगा, इसके बाद ही उसका व्यावसायिक उपयोग हो सकेगा। नए निर्माण होने वाले भवनों में यह नियम प्रमुखता से लागू होगा। पूर्व से उपयोग किए जाने वाले व्यावसायिक परिसर को लाइसेंस लेने के लिए निगम प्रशासन की ओर से एक समय सीमा निर्धारित कर दी जाएगी। इस अवधि के भीतर लाइसेंस ले लेने वाले परिसरों का ही व्यावसायिक उपयोग हो सकेगा। अगर कोई भी प्रतिष्ठान चलाने वाले भूस्वामी की ओर से लाइसेंस नहीं लिया जाता है तो नियम के तहत उन्हें बंद कराने की भी कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम की ओर से ट्रेड लाइसेंस अनुज्ञप्ति विनियमन, 2020 को मंजूरी दिए जाने के बाद आम लोगों की राय के लिए रखा गया है। इसे पटना नगर निगम के वेबसाइट www.pmc.bihar.gov.in पर सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रखा गया है। यहाँ से लोग ट्रेड लाइसेंस विनियमन की कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा पटना नगर निगम मुख्यालय के राजस्व शाखा के प्रभारी सहायक के यहाँ से लोग हार्ड कॉपी में भी विनियमन हासिल कर सकते हैं। इसके लिए लोगों को दो रुपए प्रति पेज की दर से भुगतान करना होगा। ट्रेंड लाइसेंस संबंधी नियम लागू होने के बाद इस संबंध में पूर्व से व्यावसाय चलाने वाले परिसर को एक माह का समय दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इन

परिसर के भूस्वामी या संचालक को एक माह में लाइसेंस का आवेदन निर्धारित फॉर्मेट में करना होगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसे समय सीमा समाप्त होने के बाद हर रोज 50 रुपए हर रोज की दर से दंड शुल्क भी देना होगा। दंड लेकर लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया तीन माह से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी। **(साभार : दैनिक भास्कर, 11.12.2020)**

सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी से हजारों ग्राहक हो रहे परेशान

बैंकों का विलय तकनीकी गड़बड़ी के कारण
ग्राहकों के खाते से कट रहे मनमाने पैसे

सार्वजनिक सेक्टर के कई बैंक मर्ज हो गये, लेकिन अब तक अधिकांश बैंकों में डाटा माइग्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी है, जिसका खामियाजा ग्राहकों को भुगतना पड़ रहा है। इतना ही नहीं ग्राहकों के खाते से मनमाने पैसे कट रहे है। बैंकों की ओर से कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा रहा है। दरअसल बैंकों का विलय एक अप्रैल 2020 से होना शुरू हुआ था। बैंकों के विलय के बाद सभी सॉफ्टवेयरों को अपडेट करना शुरू किया गया और ग्राहकों को नया अकाउंट नंबर, आइएफएससी कोड, नये पासबुक के लिए मैसेज करना शुरू कर दिया। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 18.12.2020)**

MSME के बकाए की हुई समीक्षा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बकायों के भुगतान की स्थिति की अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने केन्द्रीय उपक्रमों (सीपीएसई) और केन्द्र सरकार की एजेंसियों पर छोटी मझोली इकाइयों के बकायों की विशेष रूप से समीक्षा की।

बैठक में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव देवाशीष पांडा, एमएसएमई सचिव एके शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस साल मई में घोषित किए गए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत केन्द्र सरकार की एजेंसियों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) को एमएसएमई का बकाया 45 दिनों में चुकाना है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, 'मई 2020 से, भारत सरकार, विशेष रूप से एमएसएमई मंत्रालय द्वारा इन बकायों के भुगतान के लिए नियमित रूप से ठोस उपाए किए गए है। एमएसएमई को दी जाने वाली राशि के भुगतान के लिए खासतौर से सीपीएसई और केन्द्र सरकार की एजेंसियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया।'

बयान के मुताबिक इसके फलस्वरूप केन्द्र सरकार की एजेंसियों और सीपीएसई ने पिछले सात महीनों में एमएसएमई को 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 11.12.2020)**

भारत की अर्थव्यवस्था में उम्मीद से कहीं बेहतर रिकवरी : एडीबी

एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने का भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने अनुमानों को संशोधित करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान आठ प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल सकती है, जबकि पहले इसके नौ प्रतिशत रहने की बात कही गयी थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में आर्थिक रिकवरी उम्मीद से बेहतर है और इस कारण दक्षिण एशिया में गिरावट के अनुमान को 6.8 प्रतिशत से संशोधित कर 6.1 प्रतिशत कर दिया गया है। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 11.12.2020)**

अब चेक जारी करने पर बैंक को बताना होगा

बैंकिंग धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने एक जनवरी, 2021 से चेक भुगतान के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। आरबीआइ के गवर्नर शाक्तिकांत दास अगस्त में ही इसकी घोषणा कर चुके हैं। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत किसी थर्ड पार्टी को चेक जारी करने पर उस व्यक्ति को अपने बैंक को भी अपने इस चेक की जानकारी भेजनी होगी।

इस सिस्टम के तहत 50,000 रुपये से ज्यादा के भुगतान वाले चेक को री-कन्फर्म करना होगा। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक के क्लियरेंस में भी कम समय लगेगा। चेक जारीकर्ता को बैंक को चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम और भुगतान की जानेवाली रकम के बारे में दोबारा जानकारी बैंक को देनी होगी। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जायेगा। यानी चेक की जानकारी एसएमएम, मोबाइल एप, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम के माध्यम से दी जा सकेगी। चेक भुगतान से पहले इन जानकारियों के साथ मिलान किया जायेगा। कोई असंगति मिलने पर चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जिस बैंक में चेक का भुगतान होना है और जिस बैंक के अकाउंट से चेक जारी हुआ है, दोनों को जानकारी देगा। इस सुविधा का लाभ उठाने का निर्णय खाताधारक के हाथ में होगा। बैंक चाहे तो पाँच लाख से अधिक राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य कर सकता है।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 14.12.2020)

बिहार में उद्योगों को बड़ी राहत की तैयारी

नए साल में उद्योग लगाने में मुश्किलों को दूर करेगा लाइसेंस हॉली-डे

राज्य सरकार नए साल में उद्योग क्षेत्र को बड़ा तोहफा दे सकती है। उद्योग लगाने में लोगों को दिक्कत न हो, इसलिए उन्हें कई तरह के लाइसेंस लेने से मुक्ति मिल सकती है। इसके लिए लाइसेंस हॉली-डे पर मंथन चल रहा है। यानी दर्जनों लाइसेंस और एनओसी की जगह नया उद्योग लगाने के लिए केवल जरूरी लाइसेंस ही लेने होंगे। यह सारी कवायद राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को कोरोना संकट से उबारने के लिए की जा रही है। विधानसभा चुनाव से पूर्व राज्य सरकर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में कई बदलाव कर चुकी है।

बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने की कवायद काफी समय से चल रही है। मगर कोरोना ने इस प्रक्रिया में ब्रेक लगा दिया। देशव्यापी लॉकडाउन के चलते लाखों प्रवासी बिहार लौट आए थे। उनके लिए भी रोजगार का संकट था। लॉकडाउन से राज्य में भी औद्योगिक गतिविधियों में खासा गतिरोध आया था। इसके मद्देनजर सरकार ने उद्योग जगत को राहत देने को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में कई बदलाव किए। विशेष रूप से कोविड चैप्टर जोड़ा गया।

25 हजार 359 कुल औद्योगिक इकाइयाँ हैं बिहार में

"राज्य में उद्योग जगत को राहत देने के लिए लाइसेंस हॉली-डे को लेकर विचार चल रहा है। सरकार उद्योगों को लेकर गंभीर है।"

– पी. के. सिंह, उद्योग निदेशक

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 14.12.2020)

छोटे उद्यमियों व स्टार्टअप को बढ़ावा, मिलेगी बियाडा की एक चौथाई जमीन

कोरोना काल में लौटे औद्योगिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार छोटे उद्योगों को बढ़ावा देगी। उद्योग विभाग ने इसके लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) के अंतर्गत आने वाले भू-खंडों को छह वर्गों में बांटने का निर्देश दिया है। इसमें 0.25 एकड़ से लेकर पाँच एकड़ से अधिक रकबे वाले भूखंड शामिल हैं। इसका मकसद यह है कि उद्यमियों को जमीन की किल्लत न हो और वह निवेश कर रोजगार सृजन कर सकें।

आधे एकड़ से कम भूमि में लगने वाले उद्योगों को मिलेगा लाभ : बिहार में उद्यमियों और उद्योग संघों की ओर से जमीन की लगातार मांग की जाती रही है, मगर जमीन की किल्लत के कारण कई प्रोजेक्ट अधर में फंस जाते हैं। इसका समाधान निकालते हुए उद्योग विभाग ने बियाडा की आवंटन योग्य भूमि में 25 फीसद का विभाजन ऐसे भूखंडों में करने का निर्देश दिया है, जिसका रकबा आधा एकड़ या उससे कम हो। इससे कम जमीन पर अधिक उद्योग लग सकेंगे जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह भूमि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के साथ स्टार्टअप के आवेदकों के लिए आरक्षित होगी। शेष 75 फीसद उपलब्ध आवंटन उद्यमियों की आवश्यकता के अनुसार निदेशक पर्षद के निर्णय के बाद विभाजित किया जाएगा।

औद्योगिक भू-खंडों का वर्गीकरण : • 0.25 एकड़ तक रकबे वाला क्षेत्र • 0.25-0.50 एकड़ तक का क्षेत्र • 0.50-1.00 एकड़ तक का क्षेत्र • 1.00-2.00 एकड़ तक का क्षेत्र • 2.00-5.00 एकड़ तक का क्षेत्र • 5.00 एकड़ से अधिक का क्षेत्र

"बियाडा ने मास्टरप्लान तैयार किया है। यह नियम नए औद्योगिक क्षेत्रों के भू-खंडों पर लागू होगा। बोर्ड की आगामी बैठक में स्वीकृति के बाद इस दिशा में काम शुरू होगा।"

– आर. एस. श्रीवास्तव, एमडी, बियाडा

(साभार : दैनिक जागरण, 14.12.2020)

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

करदाताओं की सुविधा हेतु QRMP (quarterly return monthly payment) स्कीम लागू

यह स्कीम दिनांक 01 जनवरी 2021 की तिथि से प्रभावी है।

इस स्कीम में विकल्प (Option) चुनने की समय सीमा 31 जनवरी 2021 तक ही है।

इस स्कीम के पात्र वैसे करदाता हैं, जिनका वर्ष 2019-20 में वार्षिक कुल टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक रहा है, तथा जिन्होंने अपना अक्टुबर 2020 की विवरणी GSTR-3B रिर्टन 30 नवम्बर 2020 तक जमा कर दिया है।

इस स्कीम के अर्न्तगत जनवरी 2021 से GSTR-1 और GSTR-3B त्रैमासिक आधार पर दाखिल करने का विकल्प मिलेगा।

इस स्कीम के अर्न्तगत **IFF (Invoice furnishing facility) में B2B Invoices** को **upload** करने की सुविधा उपलब्ध है, जो अगले माह के 1 तारीख से 13 तारीख तक खुली रहेगी। IFF में डाले गए **Invoices** को **GSTR-1** में डालने की आवश्यकता नहीं होगी।

IFF के माध्यम से किसी माह के लिए अधिकतम रू. 50 लाख तक के Invoices - upload किये जा सकेंगे।

IFF के माध्यम से डाले गए Invoices पर क्रेता को Credit उपलब्ध होगा।

इस स्कीम में भी कर का भुगतान प्रत्येक माह किया जाना है।

प्रत्येक माह देय कर का स्व-आकलन व्यवसायी द्वारा उनके उस माह के आउटपुट टैक्स तथा अनुमान्य इनपुट टैक्स क्रेडिट के आलोक में किया जायेगा

अथवा

व्यवसायी द्वारा स्व-आकलन के स्थान पर पिछले त्रैमास के अन्तिम माह में कैश लेजर के माध्यम से भुगतान किए राशि का 35% राशि भुगतान किया जा सकता है।

उक्त भुगतान अगले माह के 25 तारीख तक करने से ब्याज की देयता समाप्त हो जाती है।

इस प्रकार का भुगतान त्रैमास के प्रथम दो माहों में PMT-06 चालान के माध्यम से कैश लेजर में जमा किया जाना है।

जिससे माह के पश्चात त्रैमासिक विवरणी दाखिल करने के समय उक्त राक्ति का समायोजन किया जा सकता है।

To opt for the scheme - go to
www.gst.gov.in>services> Returns>option for quarterly return

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव
बिहार, पटना

(साभार : हिन्दुस्तान, 12.12.2020)

नए औद्योगिक क्षेत्रों में बंद चीनी मिलों की जमीन भी है शामिल

नए उद्योगों की स्थापना के लिए बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड की ओर से आठ इकाइयों की जमीन बियाडा को दी गई है, जो नए औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसमें लोहट, हथुआ, बनमनखी, वारिसलीगंज, गोरौल, गुरारु, न्यू सावन और सिवान की करीब 653.7 एकड़ भूमि शामिल है। इसके अतिरिक्त मधुबनी के सकरी, पूर्वी चंपारण के सुगौली, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर, पटना के बिहटा एवं बक्सर के नावानगर में चीनी निगम की 1789.34 एकड़ फॉर्मलैंड भी उपलब्ध हैं।

ऑनलाइन करना होगा आवेदन : नए प्रावधानों के तहत भूखंडों के आवंटन के लिए उद्यमियों को बियाडा की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। भूखंड के हिसाब से आवेदकों के लिए अहर्ता तय की गई है। भूमि आवंटन के लिए हर माह प्रोजेक्ट क्लीयरेंस कमेटी (पीसीसी) की बैठक होगी। इसमें बियाडा के एमडी, कार्यकारी निदेशक, उद्योग निदेशक, वित्त विभाग के संयुक्त सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के प्रतिनिधि, बियाडा के सलाहकार और उद्योग संघों के दो प्रतिनिधि शामिल होते हैं। बैठक के 15 दिनों के अंदर जमीन आवंटन पर निर्णय लेना होगा।

(साभार : दैनिक जागरण, 14.12.20)

एक जिला-एक उत्पाद योजना के कियान्वयन के लिए समिति गठित

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए उद्योग विभाग ने राज्य एवं जिला स्तर पर एक अनुमोदन समिति गठित की है। इसकी अधिसूचना 16.12.2020 को जारी कर दी गयी है। उल्लेखनीय है कि संदर्भित योजना के तहत एक जिला-एक उत्पाद स्कीम के तहत उद्यमिता को बढ़ावा दिया जायेगा। इस स्कीम के तहत जिलों के लिए चयन किये गये खाद्य उत्पाद की प्रोसेसिंग कर के तैयार कर बाजार में उतारा जायेगा। इस योजना को प्रभावी करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक प्रत्येक जिले के लिए उत्पादों का चयन पहले ही कर लिया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले से जुड़े उत्पाद के निर्यात के लिए केन्द्र की मदद से रणनीति बनायी गयी है। सभी 38 जिलों के लिए संबंधित उत्पाद तय किये हैं, जैसे अररिया से मखाना, अरवल से आम, औरंगाबाद के लिए स्ट्रॉबेरी, बांका से कतरनी चावल, बेगूसराय से मिर्ची, भागलपुर के लिए जर्दालू आम, भोजपुर से मटर, बक्सर के लिए पुदीना, दरभंगा के लिए मखाना, मोतिहारी के लिए लीची, गया से मशरूम, गोपालगंज से पपीता, जमुई से कटहल, जहानाबाद से मशरूम, कैमूर से अमरूद, खगड़िया से केला, किशनगंज से अनानास, लखीसराय से टमाटर, मधेपुरा से आम, मधुबनी से मखाना, मुंगेर से लेमन ग्रास, मुजफ्फरपुर से लीची, नालंदा से आलू, नवादा से बेटल वाइन, पटना से प्याज, रोहतास से टमाटर, सहरसा से मखाना और समस्तीपुर से हल्दी, सारण से टमाटर, शेखुपुरा से प्याज, शिवहर से सहजन, सीतामढ़ी से लीची, सिवान से मैंथा, वैशाली से शहद और पश्चिमी चंपारण से गन्ना का चयन किया गया है।

(साभार : प्रभात खबर, 17.12.2020)

धोखाधड़ी कहीं भी, अपने जिले में दर्ज कराएं केस

हाल में लागू हुए नये उपभोक्ता कानून में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गयी है। प्रावधान के मुताबिक अगर किसी बिहार निवासी के साथ मुम्बई में किसी तरह की उपभोक्ता कानून के दायरे में आने वाली धोखाधड़ी होती है, तो वह बिहार में आकर अपने गृह जिले के जिला उपभोक्ता आयोग में केस दर्ज करा सकता है। धोखाधड़ी करने वाली कंपनी को बतौर प्रतिवादी अपना पक्ष रखने के लिए वादी के जिला उपभोक्ता आयोग में आना होगा। पिछले उपभोक्ता संरक्षण कानून में यह सुविधा नहीं थी। प्रतिवादी के जिले में ही वादी को केस दर्ज कराना पड़ता था। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राज्य उपभोक्ता आयोग ने नये कानून के मुताबिक केस दर्ज कराने के लिए इ-फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इ-फाइलिंग की प्रक्रिया जनवरी, 2021 से शुरू हो जायेगी। नये कानून के लिए इ-फाइलिंग करने की जरूरी प्रक्रिया बिहार, पश्चिमी बंगाल सहित पूर्वी भारत के चार राज्यों में एक साथ होने जा रही है। इ-फाइलिंग से आशय देश के किसी भी उपभोक्ता आयोग के न्यायालय में ऑनलाइन केस दर्ज कराया जा सकता है।

नये उपभोक्ता कानून के तहत उपभोक्ता विवादों को निबटाने के लिए मध्यस्थ विशेषज्ञों का एक सेल भी गठित किया जाना है। बिहार में इसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाना है। फिलहाल बिहार सरकार ने इसके लिए एक-एक रूम उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 16.12.20)**

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

14 या इससे अधिक चक्कों वाले ट्रक से बालू–गिट्टी के परिवहन पर तत्काल प्रभाव से रोक

बिहार राज्य में परिचालित हो रहे ओवरलोडेड वाहनों पर नियंत्रण और सड़कों, पुलों एवं आधारभूत संरचनाओं के सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नवत निर्णय लिए गए हैं:–

1. 14 चक्का या उससे अधिक चक्कों के ट्रकों से बालू और गिट्टी के उठाव एवं परिवहन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है।
2. बालू एवं गिट्टी ढुलाई के लिए 6 चक्का से 10 चक्का के ट्रकों (डम्पर सहित) में काउल चेसिस के सब फ्रेम के ऊपर डाला की ऊंचाई 3 फीट से अधिक नहीं रखी जा सकती है।
3. बालू एवं गिट्टी ढुलाई के लिए 12 चक्का के ट्रकों (डम्पर सहित) में काउल चेसिस के सब फ्रेम के ऊपर डाला की ऊंचाई 3.5 फीट से अधिक नहीं रखी जा सकती है।

उल्लंघन किये जाने पर मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दंड अधिरोपित किया जाएगा तथा संबंधित वाहनों का परमिट रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। **(साभार : प्रभात खबर, 17.12.2020)**

F. No. 15 (28)2020/Advisory/RCD/FSSAI
Food Safety and Standards Authority of India
(A Statutory body under Ministry of Health & Family Welfare, Government of India)
(Regulatory Compliance Division) FDA Bhawan,
Kotla Road, New Delhi-110002

MOST IMMEDIATE

Dated the, 21st December, 2020

To,

1. **The Commissioner of Food Safety of All States/UTs**
2. **All Authorized Officers of FSSAI**
3. **All Central Licensing Authorities (Delhi/Mumbai/Chennai/Kolkata/Guwahati)**

Subject:- Guidelines for the disposal of seized and rejected food items-Reg.

With reference to the provisions made under Section-38 (4) and 47 (4) of the FSS Act, 2006 and in cases where the law permits or Adjudicating Officer/Court so orders for disposal of the seized articles of food by destruction, the following procedure shall be followed:

A. The disposal of seized item/article shall be preferably within the jurisdiction of the court in which the case has been filed,
B. The disposal of seized item/article shall be with the due approval of the concerned Designated Officer,
C. The seized item/article shall be disposed by way of incineration preferably. However, the same may be considered for disposal by manuring/composting or biogas or dumping also as deemed fit by the concerned Designated Officer after assessing the factors like safety & risk associated with the item/article to be disposed off, the directions of the court etc.
D. The mode/ method of destruction decided by the Designated Officer should be environment-friendly.
E. The disposal shall be supervised by the FSO/officer duly authorised by the Designated Officer in the presence of two independent witnesses.
F. The certificate of disposal shall be submitted by the concerned FSO/officer supervising the disposal of the said article/item seized to the Designated Officer with a copy to the concerned Commissioner of the Food safety and the FBO.
G. In respect of the imported foodstuffs seized for contravention of Food Safety and Standards Act, 2006 or found unfit for human consumption as the case may, the procedure as laid down under the Regulation No, 16, Chapter-XII of the FSS (Imports) Regulation, 2017 and the provisions of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with the Disposal Manual-2019 of. the Central Board of Indirect Taxes & Customs shall be followed by the Authorized Officers of the FSSAI.
H. Every DO should identify suitable facilities for incineration/manuring/composting within a month and furnish a list to the Food Safety Commissioner, who may forward a consolidated list to FSSAI.

Issued with the approval of the Competent Authority.

Yoursfeincerely,
S/-
(Dr. Shobhit Jain)
Executive Director (Compliance Strategy)

एस.के. शर्मा
प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक
S.K. Sharma
Principal Chief Commercial Manager

कार्यालय
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर-844 101
Office of the
E.C.Railway, Hajipur-844101
☎ 06224-277211, 22300 (Rly)
Fax: 06224-277333, 22402(Rly)

No. ECR/CRM/FMS/02/Goods Shed Date: 14.12.2020

Sh. P. K. Agrawal, President
Bihar Chamber of Commerce fit Industries
Khemchand Chaudhary Marg, Patna-SOO 001

Sub: Opening of CHAKAHD Goods Shed In Danapur division.

Il is a matter of immense pleasure to inform you that ECR has recently opened a new Goods Shed at CHAKAND railway station in Palna-Gaya rail section. This Goods Shed falls in Gaya district. The Goods Shed facility is developed with expenditure of Rs. 12.00 Crore. It has concrete wide wharf and full rake handling facility. It is equipped to handle both bagged and loose consignment. The working hours of this Goods Shed is from 06.00 to 22.00 hrs. As this good shed is very close (nearly 100 metre) to National Highway linking Patna to Gaya, it will be very convenient to traders to bring their bulk consignment. The consignments like Cement, Fertilizer, Salt, Food grain, Stone Chips, Sand etc. can easily be handled from this Goods Shed. Outward loading is also possible from this Goods Shed with advance stacking of material for which space is available.

As most of the goods shed located inside the city is witnessing no entry during day time, this newly developed Goods Shed located at outskirt of Gaya will surely help traders of Gaya, Jehanabad and neighboring districts.

It is requested that information regarding newly developed CHAKAND Goods Shed may be spread among all the traders and business houses through your association, so that it can be put to maximum use. The suggestions for further improvement of facilities at CHAKAND goods shed can also be put forth by users for taking further necessary action by railways.

Thanking you.

S/-
(S. K. Sharma)

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 अग्रहायण 1942 (श.)
(सं. पटना 937) पटना, शुक्रवार, 11 दिसम्बर 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना (11 दिसम्बर 2020)

एस. ओ. 192, दिनांक 11 दिसम्बर 2020-बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2019 (बिहार अधिनियम 21, 2019) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, 10 नवम्बर 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अपबंध प्रवृत्त होंगे।

(सं. सं.- बिक्री-कर/ जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-2)- 2282)
बिहार -राज्यपाल के आदेश से,
डॉ. प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

20 अग्रहायण 1942 (श.)
(सं. पटना 939) पटना, शुक्रवार, 11 दिसम्बर 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

11 दिसम्बर 2020

एस. ओ. 194, दिनांक 11 दिसम्बर 2020-बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 39 की उपधारा (7) के परंतुक के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जो की एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न हैं, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पाँच करोड़ रुपए तक का कुल आवर्त है और जिन्होंने बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 61क के उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक त्रैमास के लिए विवरणी दाखिल करने का विकल्प चुना है, उन व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं जो निम्नलिखित शर्तों और निर्बंधनो के अधीन रहते हुए, जनवरी, 2021 से प्रत्येक त्रैमास के लिए विवरणी दाखिल करेंगे और उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (7) के परन्तुक के अनुसार प्रत्येक मास में शोध्य कर का संदाय करेंगे, अर्थात्:-

(i) ऐसे विकल्प के प्रयोग की तारीख को पूर्ववर्ती मास के लिए शोध्य विवरणी दाखिल की जा जुकी है;

(ii) जहाँ ऐसे विकल्प का प्रयोग एक बार कर लिया गया है, वहाँ वे भविष्यवर्ती कर अवधियों के लिए चयनित विकल्प के अनुसार विवरणी दाखिल करते रहेंगे, यदि वे उसका पुनरीक्षण नहीं करते।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका कुल आवर्त किसी वित्तीय वर्ष में त्रिमास के दौरान पाँच करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है, तो वह उत्तरवर्ती त्रिमास के पहले मास से त्रैमासिक आधार पर विवरणी दाखिल करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(3) नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के अन्तर्गत आने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए, जिसने अक्टूबर, 2020 की कर अवधि के लिए विवरणी 30 नवम्बर, 2020 को या उसके पूर्व दाखिल कर दी है, यह समझा जाएगा कि उन्होंने उक्त नियमावली के नियम 61 क के उपनियम (1) के तहत उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाउल्लिखित विवरणी के मासिक या त्रैमासिक आधार पर दाखिल करने का विकल्प चुना है:-

सारणी

क्र. सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का वर्ग	समझा गया विकल्प
(1)	(2)	(3)
1.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए तक है, जिन्होंने चालू वित्तीय वर्ष में त्रैमासिक आधार पर प्ररुप जीएसटीआर-1 दाखिल किया है।	त्रैमासिक विवरणी
2.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए तक है, जिन्होंने चालू वित्तीय वर्ष में मासिक आधार पर प्ररुप जीएसटीआर-1 दाखिल किया है।	मासिक विवरणी
3.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका कुल आवर्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक और 5 करोड़ रुपए तक है।	त्रैमासिक विवरणी

(4) ऊपर सारणी के स्तंभ (2) के अन्तर्गत आने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, 5 दिसम्बर, 2020 से 31 जनवरी, 2021 तक अवधि के दौरान सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिफ़ॉल्ट विकल्प बदल सकते हैं।

(सं. सं.- बिक्री-कर/ जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-2)- 2284)
बिहार -राज्यपाल के आदेश से,
डॉ. प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

कोविड -19 के संबंध में गृह विभाग, बिहार सरकार ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 25-11-2020 को निर्गत Surveillance, Containment and Caution के दिशा-निर्देश को दिनांक 31 जनवरी 2021 तक राज्य में लागू रखा है। इस संबंध में गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी आदेश की प्रति नीचे उद्धृत है:-

बिहार सरकार
गृह विभाग
आदेश

संख्या - 09 / अ. मु. स. को./ 2020- 442/ अ. मु. स. को. पटना, दिनांक 29 दिसम्बर 2020

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा Covid - 19 का प्रसार रोकने हेतु आदेश संख्या 40-3/2020-DM-I (A) दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 के माध्यम से गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 25.11.2020 द्वारा निर्गत Surveillance, Containment and Caution के दिशा-निर्देश को दिनांक 31.1.2021 तक लागू किया गया है।

2. सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि गृह मंत्रालय के उपर्युक्त आदेश को बिहार राज्य में यथावत लागू एवं अनुपालित किया जाए।

3. अत: राज्य सरकार के सभी विभागों एवं क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के उपर्युक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-
(आमिर सुबहानी)
अपर मुख्य सचिव

निर्देश शॉपिंग मॉल थैले का पैसा नहीं वसूल सकते

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने शॉपिंग मॉल से कहा कि वे सामान खरीदने के बाद पेमेंट काउंटर पर उपभोक्ता से कैरी बैग की राशि काटने की कार्रवाई बंद करें।

आयोग ने एक मॉल की अपील खारिज करते हुए कहा कि उपभोक्ता को अलग से ली जाने वाली कैरी बैग की कीमत पता होनी चाहिए। उसे यह भी पता होना चाहिए कि बैग की क्या गुणवत्ता और कीमत है। यह जानकारी उपभोक्ता को खरीदने से पहले लगनी चाहिए ताकि वह यह तय करे कि वह उस मॉल से सामान खरीदे या नहीं।

आयोग ने आदेश दिया कि मॉल केरी बैग के बारे में प्रवेश द्वार पर ही उचित साइन बोर्ड से उपभोक्ताओं को जानकारी दे और बैग की गुणवत्ता व कीमत का खुलासा करे। उपभोक्ता अदालतों के सामने सवाल यह था कि क्या समान खरीदने के बाद पेमेंट काउंटर पर उपभोक्ता से कैरी बैग के 18 रुपये बिल के साथ काटना अच्छा व्यापार व्यवहार है। क्या ये सेवा में कोताही है। जिला और राज्य अदालत ने इस मामले में मॉल के खिलाफ फैसला दिया था।

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सदस्य दिनेश कुमार ने कहा कि रिटेल दुकानों पर कैरी बैग का कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता ताकि उपभोक्ता आसानी से सामान घर ले जा सके। **(साभार : हिन्दुस्तान, 28.12.2020)**

PT.GPO/R-10/NP-15/2017-19 R. N. 4211/62

LIST OF HOLIDAYS OF THE CHAMBER FOR THE YEAR 2021

Sl.No.	NAME OF HOLIDAYS	DATE	DAY	NO. OF DATE
1	New Year's Day	01.01.2021	Friday	01
2	Republic Day	26.01.2021	Tuesday	01
3	Holi	29.03.2021	Monday	02
	(Holi & Basiaura)	30.03.2021	Tuesday	
4	Ramnavmi	21.04.2021	Wednesday	01
5	Independence Day	15.08.2021	Sunday	01
6	Raksha Bandhan	22.08.2021	Sunday	01
7	Birthday of Mahatma Gandhi	02.10.2021	Saturday	01
8	Durga Puja	13.10.2021	Wednesday	03
	(Ashtmi, Navmi & Dushmi)	14.10.2021	Thursday	
		15.10.2021	Friday	
9	Deepawali	04.11.2021	Thursday	01
10	Chhath puja	10.11.2021	Wednesday	02
	(Sandhya Arghya &Paran)	11.11.2021	Thursday	

Total : 14

RESTRICTED HOLIDAYS

Employees can avail only three restricted holiday which are as follows :-

Sl.No.	NAME OF HOLIDAYS	DATE	DAY
1	Basant Panchami	16.02.2021	Tuesday
2	Mahashivratri	11.03.2021	Thursday
3	Mahavir Jayanti	25.04.2021	Sunday
4	Eid-Ul-Fitr	14.05.2021	Friday
5	Eid-Ul-Zoha (Bakrid)	21.07.2021	Wednesday
6	Muharram	19.08.2021	Thursday
7	Sri Krishna Janamashtami	30.08.2021	Monday
8	Chitragupta Puja / Bhaia Duj	06.11.2021	Saturday
9	Kartik Purnima/ Guru Nanak Jayanti	19.11.2021	Friday
10	X-Mas Day	25.12.2021	Saturday

एयरपोर्ट पर प्राइवेट वाहनों से पिक और ड्रॉप हुआ फ्री

हवाई यात्रियों को छोड़ने आने वाले कॉमशियल वाहनों को भी अब पटना एयरपोर्ट पर एक्सेस शुल्क नहीं देना होगा। अब से पहले तक केवल प्राइवेट वाहनों को ही इस एक्सेस शुल्क से छूट दी गई थी। एयरपोर्ट प्रशासन ने को ट्वीट कर जानकारी दी कि केवल परिसर में यात्रियों को पिकअप करने वाले कॉमर्शियल वाहनों को ही एक्सेस फी 40 रुपये चुकाना होगा। साथ ही यह भी कहा गया कि प्राइवेट वाहनों से पिक अप और ड्रॉप के पैसे नहीं लिए जाएंगे। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 19.12.2020)**

जनवरी से डाकिए घर तक पहुँचाएंगे जमीन का नक्शा, हर शीट की कीमत 150 रुपए

डिजिटाइज्ड नक्शा • गुलजारबाग स्थित सर्वेक्षण कार्यालय करेगा होम डिलीवरी

अब जमीन का ऑनलाइन नक्शा पाना आसान होगा। जनवरी से डाक विभाग जमीन का डिजिटाइज्ड नक्शा घर तक पहुँचाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एनआईसी के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसके जरिए कोई भी रैयत (जमीन मालिक) घर बैठे अपने मौजा (जमीन) का ऑनलाइन नक्शा मंगा सकता है। यह सॉफ्टवेयर ई-कॉमर्स की तर्ज पर काम करेगा। इसमें भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, स्टेट बैंक व डाक विभाग आपस में जुड़े होंगे।

स्टेट बैंक द्वारा ऑनलाइन पेमेंट की पुष्टि करने पर गुलजारबाग स्थित सर्वे कार्यालय में नक्शे को प्रिंट कर पैकेजिंग की जाएगी। फिर डाकिए ग्राहक तक पहुँचाएंगे।

भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशक जय सिंह ने बताया कि डाक विभाग एवं स्टेट बैंक के अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। सॉफ्टवेयर निर्माण का काम अंतिम चरण में है। पूरी उम्मीद है जनवरी के आखिर तक यह सुविधा लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 18.12.2020)

नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएँ

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296